रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 18 मार्च, 2000/28 फाल्गुन, 1921

हिमाचल प्रदश सरकार

कार्मिक विभाग
(सचिवालय प्रशासन सवायें-1)

अधिसूचना

शिमला-2, 1 मार्च, 2000

संख्या पर (एस0 ए0 एस0-1) ए (3)-2/94.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना तारीख 1-4-1995 द्वारा अधिसूचित कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) हिमाचल प्रदेश में प्रतिलिपि यन्त्र चालक (वर्ग-4) (अराजपत्रित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक विभाग (हिमाचल प्रदेश सचिवालय प्रशासन) प्रतिलिपि यन्त्र चालक (वर्ग-IV अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

5495-राजपत्र/2000-18-3-2000—1,325. मूल्य : 1 रुपया।

2. उपाबन्ध "अ" का संशोधन.—कार्मिक विभाग सचिवालय प्रशासन हिमाचल प्रदेश प्रतिलिपि यन्त्र चालक (वर्ग-4 अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1995 के उपबन्ध "अ" में—

(क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
"9 (नौ)"

(ख) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
"रुपये 2820-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400 जमा 100/- रु० विशेष भत्ता"।

(ग) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

जमादार, दफ्तरी, लाईब्रेरी एटैंडैंट, रिकार्ड लिफ्टर में से जिनका ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा। प्रोन्नति के मामले में पात्र कर्मचारियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी पारस्परिक वरीयता में विघ्न डाले बिना तैयार की जायेगी।

प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-03-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग के तदर्थ नियुक्ति प्रोन्नति/भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वाकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी। परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-98 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो सकता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी के विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण. —अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोरसिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु 31-3-1998 तक की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of this Government Notification No. Per. (SAS-I) A*(3)-2/94, *dated* 1-3-2000 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

PERSONNEL DEPARTMENT
(Secretariat Administration Services-I)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the* 1*st March*, 2000

No. Per. (SAS-I) A (3)-2/94.—The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, is pleased to make the following Rules to amend the Himachal Pradesh Government Personnel Department (Secretariat Administration) Gestetnor Operator (Class-IV Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1995, notified *vide* this department notification of even No. dated 1-4-1995.

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Government Personnel Department (Secretariat Administration) Gestetnor Operator Class-IV Non Gazetted Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2000.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure "A".*— In Annexure "A" to the Himachal Pradesh Government Personnel Department (Secretariat Administration) Gestetnor Operator (Class-IV Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1995 :—

(*a*) For existing entries against column 2, the following shall be substituted, namely :—

"9 (Nine)."

(*b*) For existing entries against column 4, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 2820-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400+100/- S.A."

(*c*) For the existing entries against column 11, the following shall be substituted, namely :—

By promotion from amongst the Jamadars/Daftries/Library Attendants/Record Lifters who possess three year's regular service or regular combined with continuous *ad hoc* (rendered upto 31-3-1998 service, in the grade).

For the purpose of promotion, combined seniority lists of eligible officials based on length of service without disturbing their *inter-se* seniority shall be prescribed.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, provided that:—

(*i*) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service rendered on *ad hoc* basis (upto 31-3-1998 followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be *Ex*-servicemen recruited under the provisions of rule 3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule 3 of *Ex*-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post upto 31-3-98, if any, prior to the regular appointment/promotion had shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules :

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered upto 31-3-1998 as referred to above shall remain unchanged.

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-*Secretary*.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित